राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

क्रमांक मुख्या./कार्मिक/1–सी/ F-595/013/1372 दिनांक :–06.08.2013

विज्ञापन

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में रा.रा.प.प.नि. कर्मचारी सेवा विनियम 1965 के संशोधित नियमों एवं भर्ती/पदोन्नति शिडयूल में वर्णित पात्रता के प्रावधानो के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में निम्न 3191 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 11.09.2013 तक इच्छुक पात्रता/योग्यताधारी अभ्यार्थियों से Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र. सं.	पदनाम	भर्ती हेतु पदों की संख्या
1.	चालक	1695
2.	परिचालक	1428
3.	**आर्टिजन ग्रेड।। (केवल मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टिन स्मिथ, विद्युतकार ट्रेड से ITI योग्यताधारी पात्र)**	24
4.	**आर्टिजन ग्रेड।।। (केवल मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टिन स्मिथ, विद्युतकार ट्रेड से ITI योग्यताधारी पात्र)**	44
	कुल	3191

नोटः– आरक्षण की स्थिति राज्य सरकार के निर्देशो एवं नवीनतम नियमों के अध्ययधीन परिवर्तनीय होगी। वर्गवार आरक्षित पदों की सूचना परिशिष्ठ–1 पर है।

1. पात्रता :–

क्र0 सं0	नाम पद	पात्रता
1.	चालक	1. मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण 2. भारी वाहन चलाने का लाईसेन्स व बैज 3. भारी वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव
2.	परिचालक	1. मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण 2. परिचालक का लाईसेन्स एवं बैज आवश्यक होगा।
3.	आर्टिजन ग्रेड।।	1. मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड से आई.टी.आई प्रमाण पत्र 3. निगम कार्यशाला में अप्रेन्टिशिप करने वालो को प्राथमिकता
4.	आर्टिजन ग्रेड।।।	1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड से आई.टी.आई प्रमाण पत्र 3. निगम कार्यशाला में अप्रेन्टिशिप करने वालो को प्राथमिकता

नोट :–

1. आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 11.09.2013 को उक्त पात्रता अनुसार **चालक** पद के लिये तीन वर्ष पुराना भारी वाहन चलाने का लाईसेन्स एवं बैज तथा **परिचालक** पद के लिये राजस्थान राज्य का परिचालक लाईसेन्स एवं बैज आवश्यक रूप से होना चाहिये। उक्त वर्णित पात्रता के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यार्थियों को आवेदन शुल्क भी नहीं लौटाया जावेगा।
2. समस्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मण्डल जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधि सम्मत नियमानुसार स्थापित किये गये है एवं जिनसे उत्तीर्ण की गई परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा वर्ष 2012 की अनुदेशिका के अनुसार अपनी परीक्षाओ के समकक्ष मान्य मानी गई है, उनको ही उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता की पात्रता के लिये मान्य माना जावेगा। अन्य बोर्ड/शिक्षण संस्थाओ से उत्तीर्ण सैकण्डरी परीक्षा को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा।

चयनित अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार वेतनमान देय होगाः–

2. वेतनमान :–

क्र.सं.	नाम पद	मासिक फिक्स पारिश्रमिक	पे बेन्ड	वेतनमान	ग्रेड पे
1.	चालक	7900	PB-1	5,200–20,200	2400
2.	परिचालक	7900	PB-1	5,200–20,200	2400

3.	आर्टिजन ग्रेड – II	7900	PB-1	5,200–20,200	2400
4.	आर्टिजन ग्रेड – III	6400	PB-1	5,200–20,200	2000

i. उक्त पदों पर चयन होने पर उपरोक्तानुसार प्रथम दो वर्ष तक फिक्स पारिश्रमिक पर परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण पर रखा जावेगा तथा दो वर्ष का परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर उपरोक्तानुसार नियमित वेतनमान एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें।

3. आयु : –

i. उक्त पदों के लिये दिनांक 1.1.2013 को न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम 35 वर्ष होगी। उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय हैः–

क्र. सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष	5
2	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3	सामान्य वर्ग की महिला	5
4	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं

ii. भारतीय सेनाओं के आरक्षित (रिजर्विष्ट) जवानों की नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

iii. खिलाड़ी कोटे के अन्तर्गत आवेदन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देय होगी।

iv. जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओ के पद आरक्षित नहीं होगे, उन्हे आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरूष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।

v. निगम सेवामें पूर्व से कार्यरत विभागीय कर्मचारियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम–1965 के विनियम संख्या 110 (ii) के तहत अधिकतम आयु सीमा में 45 वर्ष तक शिथलन देय होगा।

vi. **उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या i से v पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा i से v में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।**

4. आरक्षण

i. अनुसूचित जाति/जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों को राजस्थान सरकार की नीति के अनुरूप क्रमशः 16%, 12%, 21%, एवं 1% आरक्षण का लाभ देय होगा। इस हेतु तहसीलदार/उप खण्ड अधिकारी/जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

ii. राजस्थान सरकार, कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.6.13 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों तथा निर्देश दिनांक 21.5.13 के अनुसार बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार पद आरक्षित होंगे।

iii. उक्त पदों की कार्य प्रकृति को देखते हुए इन पदों पर निःशक्तजनों (विशेष योग्यजन) का आरक्षण देय नहीं है।

iv. स्पष्टीकरण :–

A. किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नही। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

B. महिलाओ हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिलाओ के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

C. विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम अधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

v. भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदको को आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिको के आश्रितो को भू0पू0 सैनिको के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

vi. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों से नहीं भरा जायेगा। किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस वर्ग के आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग से भरा जा सकेगा।

5. **उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण :–**

''उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के लिये निश्चित वर्ष में कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रनीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिये आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाडी सम्बन्धित है।

स्पष्टीकरण

''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने:–

(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अर्न्तराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अर्न्तराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ।

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑलइण्डिया इन्टरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम में मेडल जीता हो ।

6. **प्रमाण पत्रों के सत्यापन सम्बन्धी प्रावधान**

निगम द्वारा उक्त खिलाड़ियों द्वारा अर्जित प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी तथा वे तभी मान्य होगें जबकि उनके प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रमाणित एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये हुये हो। निगम द्वारा प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण सम्बन्धित संस्थाओं से लिखित निवेदन करते हुये कराया जावेगा, प्रमाण पत्रों की प्रमाणित जांच/प्रतिहस्ताक्षरित कराने में सम्बन्धित संस्थाओं में निर्धारित शुल्क जमा कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित खिलाडी की ही होगी जिसकी रसीद खिलाडी आवश्यकता पडने पर प्रस्तुत करेगा। निगम को अपने स्तर पर ही प्रमाण पत्र सत्यापन करने का अधिकार होगा।

7. **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा।**

8. 'ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चो वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक की 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चो की संख्या में बढोतरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है, वहाँ बच्चो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चो को एक ईकाई समझा जावेगा।

9. अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा/ट्रेड टेस्ट आदि में बुलाये जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा। केवल अनुसूचित जाति/जन जाति अभ्यार्थियों को उनके निवास स्थान से निगम की द्रुतगामी/साधारण वाहन में परीक्षा स्थल तक आने जाने का न्यूनतम दूरी का परिवहन निगम का निःशुल्क यात्रा पास उनके निवास स्थान के निकटतम आगार से देय होगा। इसके लिये अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित आगार में अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रति दिखाते हुये एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

10. एक अभ्यर्थी केवल एक ही पद के लिये आवेदन करें। क्योकि सभी पदों की लिखित परीक्षा एक ही दिवस को लिया जाना प्रस्तावित है।

11. चालक, परिचालक, आर्टीजन ग्रेड ।।, आर्टीजन ग्रेड ।।। के पदों पर भर्ती के लिए सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए आवेदन शुल्क

600/– रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए 150/– रूपये होगा।

12. आवेदन पत्र **दिनांक 12.08.2013 से 11.09.2013 को रात्रि 12.00 बजे तक केवल निगम वेबसाईट www.rsrtc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन ही भरे जा सकेगें।** तत्पश्चात उक्त लिंक निष्क्रिय हो जायेगा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विस्तृत **विज्ञापन** एवं आवेदन पत्र भरने के **निर्देशों** का निगम की वेबसाईट www.rsrtc.rajasthan.gov.in से प्रिंट प्राप्त कर भली–भांति अध्ययन करलें। विज्ञापन की शर्तो/पात्रता पूर्ण करने की स्थिति में ही आवेदन शुल्क निगम बेबसाईट पर उपलब्ध आगार कार्यालय की सूची में से किसी भी आगार कार्यालय में (सैकेण्डरी का प्रमाण पत्र/अंकतालिका अनुसार शुद्ध नाम एवं जन्म दिनांक से) नगद जमा करा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु सम्बन्धित आगार से Registration No. का प्रिंट प्राप्त करलें तथा उक्त Registration No. के आधार पर निगम की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र भरने में असुविधा होने पर हैल्प लाईन **queryrsrtc@gmail.com** पर मेल के जरिये सहायता प्राप्त कर सकते हैं। **एक बार आवेदन पत्र भरने (Submit) करने के पश्चात उसमें किसी भी स्थिति में कोई संशोधन नहीं किया जावेगा।**

13. निगम वेबसाईट से ऑनलाईन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी तरह का आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा। **अभ्यर्थी द्वारा सीधे ही निगम मुख्यालय, जयपुर में प्रेषित कोई भी आवेदन पत्र भी स्वीकार नही होगा।**

14. भर्ती के दौरान इन विज्ञापित पदों में कमी अथवा बढोतरी की जा सकती है।

15. **विज्ञापन में वर्णित पात्रता रखने वाले अभ्यार्थी ही आवेदन प्रस्तुत करें। <u>आर्टिजन ग्रेड।। एवं ग्रेड।।। के पद हेतु विज्ञापित पदों के कॉलम में वर्णित ITI ट्रेड मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टिन स्मिथ, विद्युतकार ट्रेड</u> के अभ्यर्थी ही आवेदन करें अन्य ट्रेडों से ITI ट्रेड के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पात्रता के अभाव में/पात्रता अपूर्ण पाये जाने/विज्ञापित ट्रेड के अतिरिक्त ट्रेड पाये जाने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा तथा ऐसे अपात्र अभ्यार्थियों को आवेदन शुल्क नहीं लौटाया जावेगा। गलत सूचना या आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा।**

16. लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट हेतु अभ्यार्थी की उम्मीदवार अस्थाई होगी, जो कि नियुक्ति से पूर्व किसी भी चरण में मूल दस्तावेजो से मिलान करने एवं विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आयु तथा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं शर्ते पूर्ण करने के अध्ययधीन रहेगी। पात्रता पूर्ण नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त योग्य होगी।

17. उक्त सभी पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन की शर्तो के अनुसार पात्र पाये गये अभ्यार्थियों की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नो के आधार पर 100 अंको की होगी। परीक्षा समय दो घण्टे का रहेगा। लिखित परीक्षा हेतु सिलेबस निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा।

18. उक्त सभी पदों के लिये पात्र अभ्यार्थियों के लिखित परीक्षा माह अक्टूबर 2013 में **जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/सीकर/भरतपुर/अलवर/कोटा शहरों में** लिया जाना संभावित है।

19. लिखित परीक्षा के लिये सभी पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र निगम वेबसाईट तथा संबंधित आगार कार्यालय में उपलब्ध होंगे। पात्र अभ्यार्थी लिखित परीक्षा/ट्रेड टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र निगम की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जायेंगे।

20. पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथी/समय की जानकारी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी तथा अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन पत्र में वर्णित मोबाईल नम्बर तथा ईमेल आईडी पर मैसेज के द्वारा दी जायेगी।

21. चालक, आर्टिजन ग्रेड।। एवं ग्रेड।।। की लिखित परीक्षा की मेरिट अनुसार कुल रिक्त पदों के तीन गुणा तक सफल अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की ट्रेड टेस्ट परीक्षा के लिये बुलाया जावेगा।

22. ट्रेड टेस्ट का टाईम टेबल एवं प्रवेश पत्र निगम वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यार्थी वेबसाईट पर उपलब्ध ट्रेड टेस्ट शिडयूल में निर्धारित दिनांक एंव समय पर ट्रेड टेस्ट हेतु निर्धारित स्थल पर उपस्थित होगें। ट्रेड टेस्ट के समय अभ्यार्थी को अपनी पहचान के दस्तावेज एवं शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र दिखाने आवश्यक होगें तथा चालक पद के लिये ट्रेड टेस्ट के समय वैध चालक लाईसेन्स होना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज एवं स्वयं के पहचान के दस्तावेज के अभाव में या ट्रेड टेस्ट दिनांक को वैध (नवीनीकृत) चालक लाईसेन्स नहीं होने की स्थिति में ट्रेड टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया जावेगा एवं किसी भी स्थिति में पुनः ट्रेड टेस्ट का अवसर भी नहीं दिया जावेगा।

23. आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक तक निगम कार्यशालाओ में अप्रेन्टिसशिप कर चुके अभ्यार्थियों को प्राथमिकता देने हेतु ट्रेड टेस्ट के लिये निर्धारित 50 अंको में से 2 बोनस अंक दिये जायेगे। इसके लिये उन्हें ट्रेड टेस्ट के समय संबंधित आगार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

24. चालक, आर्टीजन ग्रेड II, आर्टीजन ग्रेड III के पदों के लिए प्रारम्भिक लिखित परीक्षा की मेरिट में ट्रेड टेस्ट हेतु सफल होने वाले पात्र अभ्यार्थियों से ट्रेड टेस्ट के लिए पृथक से ट्रेड टेस्ट शुल्क लिया जावेगा।
25. चालक, आर्टीजन ग्रेड II, आर्टीजन ग्रेड III के पदों के लिये ट्रेड टेस्ट परीक्षा 50 अंकों की होगी जिसमें सफल होने हेतु 60 प्रतिशत (30 अंक) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त पद पूर्णतया तकनीकी कार्य से संबंधित हैं अतः इन पदों पर चयन की पात्रता हेतु ट्रेड टेस्ट में सफल होना आवश्यक है।
26. चालक पद हेतु ट्रेड टेस्ट के लिए ड्राईविंग टेस्ट के 20 अंक सिम्यूलेटर टेस्ट के 20 अंक तथा थ्योरी टेस्ट के 10 अंक होंगे।
26. आर्टिजन ग्रेड II एवं ग्रेड III के अभ्यार्थियों के ट्रेड टेस्ट में उनसे सम्बन्धित ट्रेड का प्रेक्टीकल कार्य करवाया जायेगा तथा दो पर्यवेक्षकों के द्वारा दिये गये अंको का औसत अंक ट्रेड टेस्ट के प्राप्तांक होंगे।
27. चालक, आर्टीजन ग्रेड II, आर्टीजन ग्रेड III के पदों के ट्रेड टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की मेरिट अनुसार ही अन्तिम मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
28. परिचालक पद हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही अन्तिम मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
29. इन सभी पदों की भर्ती के लिए किसी तरह का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
30. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर/ईमेल से भर्ती सम्बन्धी जानकारी दी जा सकती है, जो मान्य होगी।
31. चयनित अभ्यार्थियो की सेवायें राजस्थान राज्य पथ परिवहन वर्क्स एवं वर्कशाप कर्मचारी स्थाई आदेश–1965 के तहत शासित होगी। चयनित अभ्यार्थियों का पदस्थापन निगम के किसी भी कार्यालय/कार्यशाला में आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
32. उक्त विज्ञापन को संशोधित करने/निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।

सदस्य सचिव
सेवा चयन मण्डल
रा.रा.प.प.नि.
मुख्यालय, जयपुर

परिशिष्ठ–''1''

राजस्थान राज्य परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

आरक्षण की स्थिति AS PER ROSTER

क्र0 सं0	पद का नाम	सामान्य				अनुसूचित जाति 16 %				अनुसूचित जनजाति 12 %				अन्य पिछड़ा वर्ग 21 %				विशेष पिछड़ा वर्ग 1 %				भूतपूर्व सैनिक 12½ %	विभागीय कर्मचारी 2%	विशेष योग्यजन 3 %	खिलाड़ी कोटा 2 %
		कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %						
			कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	24	20	21	22	23	24	25
1	चालक	**600**	189	15	04	252	78	06	02	189	63	05	01	331	80	06	02	16	16	01	-	189	31	-	31
2	परिचालक	**505**	159	13	03	212	67	05	01	160	53	04	01	279	67	05	01	14	14	01	-	159	26	-	27
3	आर्टिजन ग्रेड।।	**08**	02	-	-	04	01	-	-	03	01	-	-	05	01	-	-	1	1	-	-	02	-	-	01
4	आर्टिजन ग्रेड।।।	**15**	04	-	-	07	01	-	-	05	02	-	-	09	02	-	-	1	1	-	-	05	-	-	01
	योग	**1128**	354	28	07	475	147	11	03	357	119	09	02	624	150	11	03	32	32	02	-	355	57	-	60

Continue.... Page 1

परिशिष्ठ–''1''

राजस्थान राज्य परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

TSP क्षेत्र एवं बारां जिले की सहरिया आदिम जाति हेतु आरक्षित पदों की स्थिति

क्र. सं.	पद का नाम	TSP क्षेत्र के आरक्षित पद सामान्य 50%				TSP क्षेत्र के आरक्षित पद अनुसूचित जाति 5%				TSP क्षेत्र के आरक्षित पद अनुसूचित जनजाति 45%				बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के आरक्षित पद				कुल विज्ञापित पद
		कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %			
			कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %	
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	चालक	57	17	1	-	5	1	-	-	49	14	1	-	7	2	-	-	1695
2	परिचालक	48	14	1	-	4	1	-	-	41	12	-	-	6	1	-	-	1428
3	आर्टिजन ग्रेड।।	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
4	आर्टिजन ग्रेड।।।	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
	योग	108	31	2	-	9	2	-	-	90	26	1	-	13	3	-	-	3191

नोटः–

1. TSP क्षेत्र के अभ्यर्थी का चयन होने पर उसे दस्तावेज के सत्यापन के समय TSP क्षेत्र के निवास का सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2- सहरिया आदिम जाति के आरक्षण हेतु अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सहरिया आदिम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ऑन–लाईन आवेदन शुल्क जमा किये जाने वाले आगारों की सूची

क्र.सं.	जोन का नाम	जोन के अधीन आगारों के नाम
1.	डीलक्स	डीलक्स आगार
2.	जयपुर	जयपुर आगार
3.		दौसा आगार
4.		कोटपूतली आगार
5.		वैशालीनगर आगार
6.		देहली आगार
7.	अजमेर	अजमेर आगार
8.		अजयमेरू आगार
9.		ब्यावर आगार
10.		भीलवाडा आगार
11.		डीडवाना आगार
12.		नागौर आगार
13.	बीकानेर	अनूपगढ आगार
14.		बीकानेर आगार
15.		गंगानगर आगार
16.		हनुमानगढ आगार
17.		सरदारशहर आगार
18.	भरतपुर	अलवर आगार
19.		मत्स्यनगर आगार
20.		भरतपुर आगार
21.		लोहागढ आगार
22.		धौलपुर आगार
23.		हिण्डौन आगार
24.		तिजारा आगार
25.	कोटा	टोंक आगार
26.		बून्दी आगार
27.		कोटा आगार
28.		झालावाड आगार
29.		बांरा आगार
30.	सीकर	चूरू आगार
31.		झुन्झुनु आगार
32.		खेतडी आगार
33.		श्रीमाधोपुर आगार
34.		सीकर आगार
35.	जोधपुर	आबूरोड आगार
36.		बाडमेर आगार
37.		फालना आगार
38.		जालौर आगार
39.		जोधपुर आगार
40.		पाली आगार
41.		फलोदी आगार
42.		सिरोही आगार
43.	उदयपुर	उदयपुर आगार
44.		बांसवाडा आगार
45.		चित्तौडगढ आगार
46.		डूंगरपुर आगार

संशोधित परिशिष्ट–''B''

राजस्थान राज्य परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

आरक्षण की स्थिति AS PER ROSTER

क्र0 सं0	पद का नाम	सामान्य				अनुसूचित जाति 16 %				अनुसूचित जनजाति 12 %				अन्य पिछड़ा वर्ग 21 %				विशेष पिछड़ा वर्ग 1 %							
		कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %			कुल पद	महिला 30 %			भूतपूर्व सैनिक 12½ %	विभागीय कर्मचारी 2%	विशेष योग्यजन 3 %	खिलाड़ी कोटा 2 %
			कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %		कुल	विधवा 8 %	परित्यक्ता 2 %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	24	20	21	22	23	24	25
1	चालक	**610 (10*)**	184 (4*)	49 (1*)	12	**260 (8*)**	76 (1*)	20	05	**193 (4*)**	59 (3*)	15	03	**334 (3*)**	99	26	06	**16**	04	01	-	**192 (3*)**	**31**	-	**31**
2	परिचालक	**517 (12*)**	163 (12*)	40	10	**222 (10*)**	65 (2*)	16	04	**183 (23*)**	50 (2*)	12	03	**296 (17*)**	90 (7*)	24 (2*)	05	**17 (3*)**	15 (1*)	01	-	**183 (24*)**	**26**	-	**27**
3	आर्टिजन ग्रेड।।	**13 (5*)**	02	-	-	**04**	01	-	-	**03**	01	-	-	**06 (1*)**	01	-	-	**01**	01	-	-	**02**	-	-	**01**
4	आर्टिजन ग्रेड।।।	**20 (5*)**	04	01	-	**07**	02	-	-	**06 (1*)**	02	-	-	**10 (1*)**	02	-	-	**02**	02	-	-	**08 (3*)**	-	-	**01**
	योग	**1160**	**353**	**90**	**22**	**493**	**144**	**36**	**09**	**385**	**112**	**27**	**06**	**646**	**192**	**50**	**11**	**36**	**22**	**02**	-	**385**	**57**	-	**60**

नोटः– जिन पदों के साथ * अंकित है वे पूर्व भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ड्यूटी ज्वाईन नहीं करने के कारण रिक्त रहे पद हैं, तथा इन्हें उस संवर्ग के कुल पदों में जोड़ दिया गया है।

Continue.... Page 1

संशोधित परिशिष्ट–''**B**''

राजस्थान राज्य परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

TSP क्षेत्र एवं बारां जिले की सहरिया आदिम जाति हेतु आरक्षित पदों की स्थिति

क्र. सं.	पद का नाम	TSP क्षेत्र के आरक्षित पद सामान्य 50%				TSP क्षेत्र के आरक्षित पद अनुसूचित जाति 5%				TSP क्षेत्र के आरक्षित पद अनुसूचित जनजाति 45%				बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के आरक्षित पद				कुल विज्ञापित पद
		कुल पद	महिला 30 % कुल	महिला 30 % विधवा 8 %	महिला 30 % परित्यक्ता 2 %	कुल पद	महिला 30 % कुल	महिला 30 % विधवा 8 %	महिला 30 % परित्यक्ता 2 %	कुल पद	महिला 30 % कुल	महिला 30 % विधवा 8 %	महिला 30 % परित्यक्ता 2 %	कुल पद	महिला 30 % कुल	महिला 30 % विधवा 8 %	महिला 30 % परित्यक्ता 2 %	
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	**चालक**	57	17	1	-	5	1	-	-	49	14	1	-	7	2	-	-	**1723**
2	**परिचालक**	48	14	1	-	4	1	-	-	41	12	-	-	6	1	-	-	**1517**
3	**आर्टिजन ग्रेड II**	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30**
4	**आर्टिजन ग्रेड III**	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**54**
	योग	108	31	2	-	9	2	-	-	90	26	1	-	13	3	-	-	**3324**

नोटः–

1. TSP क्षेत्र के अभ्यर्थी का चयन होने पर उसे दस्तावेज के सत्यापन के समय TSP क्षेत्र के निवास का सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2- सहरिया आदिम जाति के आरक्षण हेतु अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सहरिया आदिम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।